



पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस  
मंत्रालय भारत सरकार

(आईओसी/बीपीसी/एचपीसी)



प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

उज्ज्वला केवाईसी आवेदन (काली स्याही द्वारा बड़े अक्षरों में भरा जाना है। सभी फील्ड भरना अनिवार्य है।)

संस्करण 7.0



अपनी तस्वीर  
यहां चिपकाएं

उपभोक्ता विवरण		प्रवासी: हाँ	नहीं									
a)	आवेदक का नाम सुश्री/श्रीमती (आधार के अनुसार)											
1	प्रथम नाम											
2	मध्य नाम											
3	अंतिम नाम											
4	आधार											
5	मोबाइल											
	जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य								
b)	जन्म तिथि											
	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y				

b) एलपीजी कनेक्शन के लिए पता/संपर्क जानकारी											
1	पते का प्रमाण (पीओए) श्रेणी कोड*	P	O	A	मोबाइल						
2	मकान/फ्लैट, का नाम					मंजिल संख्या					
3	आवास परिसर/भवन					भूमि चिन्ह					
4	गली/सड़क का नाम					क्षेत्र/डाकघर					
5	शहर/कस्बा					का नाम					
6	गाँव/पंचायत					पिन कोड					
7	ब्लॉक/उप-जिला					ईमेल आईडी					
8	जिला										
9	राज्य										

c) राशन कार्ड/आवेदक के अलावा परिवार के सदस्यों को प्रमाणित करने वाले किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट परिवार संरचना के स्वीकृत दस्तावेज के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी घरेलू सदस्यों का विवरण (साझा रसोई वाले आवास इकाई में एक साथ रहनेवाले लोग शामिल हैं)/स्व घोषणा (केवल प्रवासी श्रमिकों के मामले में)											
क्र. सं.	आवेदक के साथ संबंध	नाम	लिंग (पुरुष/स्त्री)	आधार नंबर (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)	आधार का उपयोग करने की सहमति के लिए हस्ताक्षर						
1											
2											
3											
4											
5											

d) मेरे बैंक खाते का विवरण (पासबुक/बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक की प्रति संलग्न करें जिसमें खाताधारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड मुद्रित हो)											
1	बैंक खाते में नाम										
2	बैंक का नाम										
3	शाखा का नाम					4. आईएफएससी कोड					
5	बैंक खाता संख्या										

e) राशन कार्ड/परिवार के सदस्यों के विवरण को प्रमाणित करनेवाला कोई अन्य राज्य विशिष्ट परिवार संरचना का स्वीकृत दस्तावेज (प्रवासियों के मामले में) (राशन कार्ड/राज्य विशिष्ट दस्तावेज/अनुलग्नक-1 की एक प्रति संलग्न करें (प्रवासियों के मामले में))											
1	जारीकर्ता राज्य					स्वीकृत परिवार संरचना दस्तावेज क्रमांक W. Bengal हेतु)					
2	राशन कार्ड संख्या/राज्य विशिष्ट दस्तावेज संख्या										
f)	केवाईसी के साथ संलग्न लाभार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 14 सूत्री घोषणा					हाँ	नहीं				
g)	प्रवासी प्रमाणन (अनुबंध - 1)					हाँ	नहीं				

उपकरण चयन (उपयुक्त बॉक्स/बक्सों को चिह्नित करें)											
1	वांछित एलपीजी सिलेंडर का प्रकार (वांछित उपकरण का चयन करें)	5	किग्रा सिलेंडर	14.2	किग्रा सिलेंडर						
2	वांछित चूल्हे का प्रकार	1	- चूल्हा	2	- चूल्हा						

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विवरण

- अ) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।
- ब) यह योजना सिलेंडर की सुरक्षा जमा की लागत, दबाव नियामक, डीजीसीसी की लागत, सुरक्षा नली और स्थापना और प्रशासनिक शुल्क को कवर करने के लिए नकद सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, लाभार्थी को हॉट प्लेट और पहला एलपीजी रिफिल भी दिया जाएगा।
- क) आपके घर में पीडीएस एलपीजी कनेक्शन के न होने के सफल सत्यापन और पुष्टि पर, लागू नियमों और शर्तों के अधीन आपको एलपीजी कनेक्शन जारी किया जा सकता है।

\*पीओए दस्तावेजों की सूची

- आधार (यूआईडी)-POA01 | पासपोर्ट-POA02 | शस्त्र लाइसेंस-POA14 | एसएसएलसी बुक जिसमें फोटोग्राफ-POA15 शामिल है | नरेगा जॉब कार्ड-POA16 | स्वतंत्रता सेनानी कार्ड-POA17 | भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड-POA18 | किसान पासबुक-POA19 | पंजीकृत पट्टा/बिक्री/किराया समझौता-POA20 | डाक विभाग ने फोटोग्राफ युक्त पता कार्ड जारी किया-POA21 | राज्य सरकार ने जारी किया जाति और निवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो-POA22 शामिल है | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/प्रशासनों ने विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र या विकलांगता आईडी कार्ड-POA23 जारी किया | सरकार ने विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जिसमें पता-POA24 शामिल है | स्व-घोषणा (केवल प्रवासियों के लिए) POA25
- आधार (यूआईडी)-POA01 | पासपोर्ट-POA02 | पासबुक/बैंक स्टेटमेंट-PO-03 | राशन कार्ड/एनएफएस कार्ड-POA04 | ड्राइविंग लाइसेंस-POA05 | मतदाता पहचान पत्र-POA06 | पासबुक/डाकघर खाता विवरण-POA07 | पानी का बिल (पिछले 3 महीनों में जारी)-POA08 | बिजली बिल (पिछले 3 महीनों में जारी)-POA09 | संपत्ति कर रसीद (पिछले 1 वर्ष में जारी)-POA10 | बीमा पॉलिसी-POA11 | लेटरहेड पर हस्ताक्षरित पत्र जिसमें बैंक द्वारा जारी की गयी फोटो हो- POA12 | फोटो आईडी जिसमें पता/हस्ताक्षरित पत्र हो जिसमें किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किया गया फोटो हो- POA13



**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस  
मंत्रालय भारत सरकार**



प्रिय एलपीजी वितरक,

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, निवासी \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ अपने नाम पर धरेलू एलपीजी कनेक्शन लेना चाहता हूँ और निम्नानुसार पुष्टि करता हूँ

- य) मैं यहां पुष्टि करता हूँ कि, इस फॉर्म में दी गई जानकारी सही है और कुछ भी नहीं छुपाया गया है और मैं समझता हूँ कि, झूठी जानकारी, यदि कोई हो तो भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।
- र) मैं आईओसी/एचपीसी/बीपीसी/एमओपी एंड एनजी को किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/मेरे बैंक खाते के परिवर्तन/बंद/निष्क्रिय होने के मामले में/बैंक एनएसीएच में नहीं है या बैंक द्वारा किसी भी अस्वीकृति या किसी भी जानकारी की गैर-गोपनीयता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- ल) उपरोक्त जानकारी में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के मामले में, मैं एलपीजी वितरक को सूचित करूंगा।
- व) मैं अपनी तेल कंपनी/मेरे बैंक को डी-डुप्लीकेशन/प्रमाणीकरण/सत्यापन उद्देश्यों के लिए अपने और अपने परिवार के सदस्य आधार संख्या/जनसांख्यिकीय डेटा/बैंक खाते के विवरण को अपने बीच और बाहरी एजेंसियों के साथ अपडेट/साझा करने के लिए अधिकृत करता हूँ।
- श) एलपीजी की आपूर्ति और वितरण से संबंधित सरकारी विनियमों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, आईओसी/बीपीसी/एचपीसी मुझे एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बंद करने, सुरक्षा जमा को जब्त करने, हॉट प्लेट सहित उपकरणों को वापस लेने और नीति अनुसार दंडात्मक शुल्क लगाने के अपने अधिकार के भीतर होगा और दिशानिर्देशों एवं प्रावधानों के तहत लागू कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।
- ष) मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारत में रहता हूँ।
- स) कि मेरी जन्म तिथि \_\_\_\_\_ है (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को एलपीजी कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है)
- ह) न तो मैं, और न ही घर के किसी अन्य सदस्य (परिवार का अर्थ है एक परिवार जिसमें सभी सदस्य परिवार संरचना कार्ड में एक साथ रह रहे हैं, जिसमें एक आम रसोई है) के पास पीएसयू तेल कंपनियों या पाइप प्राकृतिक गैस कनेक्शन से कोई एलपीजी कनेक्शन है। हमारे आवास इकाई में धरेलू उपयोग के लिए। ('परिवार' जिनके पास पाइप से प्राकृतिक गैस कनेक्शन है, वे सब्सिडी वाले एलपीजी के पात्र नहीं हैं)।
- ळ) मैं पुष्टि करता हूँ कि मुझे जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग मेरे उपरोक्त पते पर और केवल धरेलू खाना पकाने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और मैं इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाली सभी शर्तों का पालन करूंगा।
- क्ष) कि मैं उसी रसोई में कोई अन्य एलपीजी गैस सिलेंडर स्थापित नहीं रखूंगा।
- ज) जब कभी मुझे इस कनेक्शन के लिए दूसरा सिलेंडर जारी किया जाएगा तो उसका उपयोग उसी रसोई में और मूल संस्थापन के साथ करूंगा।
- श्र) जब भी मैं अपने निवास वर्तमान पते से दूसरे पते पर या अपना मोबाइल नंबर बदलूंगा, मैं मैसर्स को सूचित करूंगा \_\_\_\_\_ वितरक/आरजीजीएलवी का नाम) लिखित रूप में पता/मोबाइल नंबर बदलने की अग्रिम सूचना दूंगा।
- प) मुझे पता है कि धरेलू सब्सिडी वाला एलपीजी कनेक्शन मैसर्स द्वारा जारी किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल)/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल)/हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) इस घोषणा और मेरे द्वारा इस में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) फॉर्म, पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण, बाद में किसी भी सरकार के साथ किसी अन्य धरेलू सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन के अस्तित्व के लिए डी-डुप्लीकेशन जांच के अधीन होना चाहिए। तेल कंपनी, मेरे नाम पर या मेरे 'परिवार' के किसी अन्य सदस्य के नाम पर।
- फ) यह कि यदि इस घोषणापत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना/घोषणा, "केवाईसी" फॉर्म या पहचान/निवास प्रमाण के समर्थन में प्रस्तुत कोई दस्तावेज असत्य या गलत पाया जाता है, तो तेल कंपनी को आपूर्ति वापस लेने का अधिकार होगा। गैस/कनेक्शन समाप्त करें/हॉट प्लेट सहित उपकरणों को जब्त करें/सुरक्षा जमा जब्त करें, पहली रिफिल की लागत और प्राप्त सब्सिडी की वसूली करें और यह कि इस तरह की निकासी/समाप्ति/जब्त/वसूली के लिए आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल के खिलाफ मेरा कोई दावा नहीं होगा।
- ग) मैं और मेरे परिवार के सदस्य स्वेच्छा से और जानते हुए एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ओएमसी के साथ आधार संख्या और आधार दस्तावेज साझा कर रहे हैं।

**आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्थान: \_\_\_\_\_ नाम: \_\_\_\_\_

**जिस श्रेणी में आवेदक आवेदन कर रहा है और अपने दस्तावेज जमा कर रहा है, उसके आधार पर डीलर/वितरक द्वारा भरा जाना है।**

f)	उस श्रेणी का चयन करें जिसमें आवेदक पीएमयूवाई के तहत गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहा है	कोड	आवेदक ने श्रेणी में आवेदन किया (बॉक्स को चिह्नित करें)	दस्तावेज सं.	दस्तावेज जारी करने की तिथि (dd/mm/yy)	जारी करने का स्थान
01	अनुसूचित जाति					
02	अनुसूचित जनजाति					
03	पीएमएवाई					
04	अति पिछड़ा वर्ग					
05	अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)					
06	चाय जनजाति और पूर्व चाय जनजाति					
07	वनवासी					
08	नदी के द्वीप					
09	एसईसीसी एचएच (एचएल-टिन) <sup>^</sup>					लागू नहीं
10	14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार गरीब एचएच					लागू नहीं

<sup>^</sup>(एचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में अंकित है जो परिवार में एक व्यक्ति से संबंधित है)

# मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों की छायांकित प्रतियां उनकी मूल प्रतियों के समक्ष विधिवत सत्यापित और प्रमाणित हैं तथा जमा किये गये दस्तावेज के अनुसार आवेदक के परिवार संरचना भी प्रमाणित की गई है और सही पाई गई है।

एलपीजी आईडी (यदि आवंटित हो):

**वितरक के हस्ताक्षर**

✂ \_\_\_\_\_ ✂

**पावती पर्ची**

उज्जवला आवेदन प्राप्त किया (नाम) \_\_\_\_\_ स्थान \_\_\_\_\_

दस्तावेज सं.

राशन कार्ड नंबर / कोई अन्य राज्य विशिष्ट दस्तावेज संख्या जो परिवार के सदस्यों के विवरण को प्रमाणित करता हो

दिनांक: \_\_\_\_\_ **वितरक के हस्ताक्षर और मुहर**